मध्यप्रदेश विधान सभा

जुलाई, 2006 सत्र

दैनिक कार्य सूची

बुधवार, दिनांक 19 जुलाई, 2006 (आषाढ़ 28, 1928)

समय 10.30 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री, कम्पनीज एक्ट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का 30 वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2004-2005 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 19 की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) संबंधी बारहवां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2005 पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण

(1) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह, श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य, प्रदेश के अनेक जिलों में चिकनगुनिया की बीमारी फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के केसला विकासखण्ड अंतर्गत सूखा राहत मद का गेहूं ग्राम पंचायतों को वितरण न किये जाने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

निर्धारित समय

4. शासकीय विधि विषयक कार्य

30 मि. (1) श्री जगदीश देवड़ा, श्रम मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि औद्योगिक विवाद (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 10 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (2) श्री राघवजी, वित्त मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश आकस्मिकता निधि (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 11 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

30 मि. (3) श्री गंगाराम पटेल, राज्यमंत्री, पंचायत और ग्रामीण विकास प्रस्ताव करेंगे कि मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज (संशोधन) विधेयक, 2006 (क्रमांक 12 सन् 2006) पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डशः विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

डॉ. ए.के. पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 18 जुलाई, 2006